FORM NO- III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत .... उपखंड अधिकारी, मंगलानी(?)

प्रार्थना पत्र 212 RTA ... बनाम ... मुकाम बयाना

किस्म मुकदमा ... सन 232/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनेशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/9/23.	प्रा० प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 RT Act के तहत पेश किया। हमने प्रा० प्रार्थी को एवं पत्रावली सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण [illegible] प्रक्रिया के [illegible] में कपास [illegible] जाता है कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 15/12/23 तक का आदेश जारी किया जाता है कि अप्र० [illegible] 1087/1775 [illegible] खसरा नं० बयाना के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इस बाबत कोई आपत्ति है तो नियत तारीख पेशी को व्यक्तिगत रूप से हाजा उपस्थित होवें। [illegible] रजि० डा० अप्रार्थीगण को नोटिस जारी [illegible] नोटिस तलब [illegible] 15/12/23 को पेश हो	
15/12/23	पीठासीन अधिकारी दीगर कार्य में व्यस्त है उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/3/24 को पेश हो रीडर	

6/3/24 तकुजाय(?) जवाब दावा हेतु [illegible] पत्रावली दि. 4/4/24 को पेश हो

[illegible] 6/3/24

5/6/25 पीठासीन अधिकारी .... को पेश हो
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/8/25
रीडर
ओ./एस.डी.एम.

30/8/25 पीठासीन अधिकारी .... को पेश हो
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1/12/25
रीडर
ओ./एस.डी.एम.

1/12/25 पीठासीन अधिकारी .... को पेश हो
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/6/25
रीडर
ओ./एस.डी.एम.

10/6/25 - [illegible]

10/6/25 [illegible]

BPR [illegible]

8/9/25 पीठासीन अधिकारी .... को पेश है।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4/11/25
रीडर
ओ./एस.डी.एम.

4/11/25 पीठासीन अधिकारी .... है।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/1/26 को पेश है।
रीडर
ओ./एस.डी.एम.

20/1/26 प्रकरण पेश किया। [illegible] उपस्थित
बार-बार मौके उपरान्त जवाब अप्रार्थी
प्रस्तुत नहीं किया गया। जवाब अप्रार्थी
बन्द किया जाता है। प्रकरण में अस्थाई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	निषेधाज्ञा बाबत बहस 1080 प्रार्थी द्वारा की गई प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को देखते हुये विवादित आराजीयात बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। बहस 1080 प्रार्थी सुनने के उपरान्त एवं पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है। मौके पर विवाद होने की आशंका है। अतः प्रकरण मे जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निर्णय तक पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर - तहसील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी [illegible] राज	